



2026:AHC:66877

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 8726 वर्ष 2026

भगवान दास आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: महेनम हारून, प्रथम गौड़, राजेश कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आज दायर किए गए पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता सुश्री महेनान हारून और श्री आरके यादव, और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक भगवान दास की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के, जिला संभल में दर्ज अपराध संख्या-415 वर्ष 2025 में उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और सह-अभियुक्त, तोतारम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-91366 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 18.03.2026 के आदेश के माध्यम से ज़मानत पर पहले ही बढ़ा दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में 17 नामजद और 14 अज्ञात व्यक्तियों के शामिल होने की बात कही जाती है, जिसमें कथित तौर पर कठोर और कुंद वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। आवेदक 08.11.2025 से न्यायिक हिरासत में है और यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि, इस न्यायालय में मामलों की भारी संख्या-को देखते हुए, मुकदमे के किसी भी शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और सह-अभियुक्त, तोताराम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जो आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-91366 वर्ष 2026 में पारित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा कई अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में 17 नामजद और 14 अज्ञात व्यक्तियों के शामिल होने की बात कही जाती है, जिसमें कथित तौर पर कठोर और कुंद वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। आवेदक 08.11.2025 से न्यायिक हिरासत में है।

7. अभिलेखों से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- भगवान दास को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)